

समुद्री डकैती वरिधी वधियक

प्रलिमिस के लयि:

समुद्री डकैती वरिधी वधियक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभसिमय

मेन्स के लयि:

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभसिमय, समुद्री डकैती वरिधी वधियक की वशिषताएँ और चुनौतियँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राज्यसभा](#) ने **समुद्री डकैती वरिधी वधियक** पारति कयि, जसिके बारे में सरकार ने कहा कयिह **समुद्री डकैती** से नपिटने के लयि एक प्रभावी कानूनी साधन प्रदान करेगा।

- परविहन के समुद्री मार्गों की सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और देश की [हाइड्रोकार्बन](#) आवश्यकताओं का 80% से अधिक की पूर्ता समुद्र से होती है।

प्रमुख बडि

परचिय:

- वधियक समुद्री डकैती की रोकथाम और ऐसे समुद्री डकैती से संबंधति अपराधों के लयि व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है।
 - यह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं से सटे और उससे परे समुद्र (यानी समुद्र तट से 200 समुद्री मील से परे) के सभी हसिसों पर लागू होगा।
- यह वधियक संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभसिमय (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) को कानून बनाता है।

डकैती:

- यह समुद्री डकैती को एक नजिी जहाज़ या वमिन के चालक दल या यात्रियों द्वारा नजिी उद्देश्यों के लयि कसिी जहाज़, वमिन, व्यक्तिया संपत्तिके खलिाफ की गई हसिा, हरिसत या वनिाश के कसिी भी अवैध कार्य के रूप में परभाषति करता है। इस तरह के कृत्यों को उच्च समुद्र (भारत के वशिष आर्थिक क्षेत्र से परे) या भारत के अधिकार क्षेत्र के बाहर कसिी भी स्थान पर कयिा जा सकता है।
 - उकसाना या जान-बूझकर इस तरह के कृत्यों को सुवधाजनक बनाना भी डकैती के रूप में माना जाएगा।
 - इसमें अन्य गतविधियँ भी शामिल हैं जनिहें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री डकैती माना जाता है।
- डकैती में समुद्री डकैती जहाज़ या वमिन के संचालन में स्वैच्छिक भागीदारी भी शामिल है।

दंड:

- पायरेसी का कृत्य दंडनीय होगा:
 - आजीवन कारावास; या
 - मृत्युदंड, अगर समुद्री डकैती मृत्यु का कारण बनती है या ऐसा कोई प्रयास कयिा जाता है।
- समुद्री डकैती का कृत्य करने, सहायता, समर्थन या सलाह देने का प्रयास करने पर 14 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- जलदस्युता के कार्य में भाग लेना, आयोजन करना या दूसरों को भाग लेने के लयि नरिदेशति करना भी 14 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
- अपराधों को प्रत्यरपति करने योग्य माना जाएगा। इसका मतलब है कि अभयिकृत को अभयिजन के लयि कसिी भी उस देश में स्थानांतरति कयिा जा सकता है जसिके साथ भारत ने [प्रत्यरण संधि](#) पर हस्ताकषर कयिे हैं।
 - ऐसी संधियों के अभाव में देशों के बीच पारस्परिकता के आधार पर अपराध प्रत्यरण योग्य होंगे।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार:

- केंद्र सरकार, संबंधति [उच्च न्यायालय](#) के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से [सत्र न्यायालयों](#) को इस वधियक के तहत नामति न्यायालयों के रूप में अधिसूचति कर सकती है।


- मनोनीत न्यायालय नमिनलखिति द्वारा कयि गए अपराधों की सुनवाई करेगा:
 - **भारतीय नौसेना** या **तट रक्षक की हरिसत में** एक व्यक्ती, उसकी राष्ट्रियता की परवाह कयि बनि।
 - भारत का नागरकि, भारत में एक नविासी वदिशी नागरकि या राज्यवहिीन व्यक्ती।
- कसिी **वदिशी जहाज़ पर कयि गए अपराधों पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्तर नहीं होगा** जब तक कनिमिनलखिति द्वारा हस्तकषेप का अनुरोध नहीं कयि जाता है:
 - जहाज़ की उत्पत्ता का देश।
 - जहाज़ का मालकि।
 - जहाज़ पर कोई अन्य व्यक्ती।
- गैर-वाणजियकि उद्देश्यों के लयि नयिोजति युद्धपोत और सरकारी स्वामतिव वाले जहाज़ **न्यायालय के अधिकार क्षेत्तर में नहीं होंगे।**

वधियक की प्रमुख चुनौतियाँ:

- वधियक के तहत यदकि कोई व्यक्ती समुद्री डकैती का कार्य करते समय मृत्यु का कारण बनता है, तो उसे **मृत्युदंड दयि जाएगा।**
 - इसका तात्पर्य ऐसे अपराधों के लयि **अनविर्य रूप से मृत्युदंड से है।**
 - **सर्वोच्च न्यायालय** का मानना है ककिरिी भी अपराध के लयि अनविर्य मृत्युदंड असंवैधानकि है क्योकियह **संवधान के अनुच्छेद 14 और 21** का उल्लंघन करता है।
 - हालोंकि **संसद** ने कुछ अपराधों के लयि अनविर्य मृत्युदंड का प्रावधान करने वाले कानून पारति कयि हैं। उदाहरणत: अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नविरण) अधनियम, 1989।
 - यदकि कोई व्यक्ती समुद्री डकैती के कार्य में शामिल होता है तो इस वधियक में 14 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान कयि गया है। समुद्री डकैती (जसिमें समुद्री लुटेरे जहाज़ या वमिन के संचालन में स्वेच्छा से भाग लेना शामिल है) आजीवन कारावास के रूप में दंडनीय है।
 - कभी-कभी **परसिथतियाँ भनि हो सकती हैं**, ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है ककि ऐसे मामलों में सज़ा कैसे नरिधारति की जाएगी।
- यह अधनियम भारत के **एक्सकलूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ)** की सीमाओं से सटे और उससे आगे के समुद्र के सभी हसिों पर लागू होगा, यानी **समुद्र तट से 200 समुद्री मील से आगे तक के क्षेत्तर में।**
 - सवाल यह है ककि्या वधियक में EEZ को भी शामिल कयि जाना चाहयि, जो कि **12 समुद्री मील और 200 समुद्री मील** (भारत के समुद्र तट से) के बीच का क्षेत्तर है।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय:

- **UNCLOS, 1982** एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री गतविधियों के संबंध में कानूनी रूपरेखा स्थापति करता है।
- इसे **लॉ ऑफ द सी** के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री क्षेत्तरों को पाँच मुख्य क्षेत्तरों में वभिाजति करता है- आंतरकि जल, प्रादेशकि समुद्र, सन्नहिति क्षेत्तर, वशिष आर्थकि क्षेत्तर (EEZ) और उच्च समुद्र।



- यह एकमात्तर अंतर्राष्ट्रीय अभसिमय है जो समुद्री क्षेत्तरों में राज्य के अधिकार क्षेत्तर के लयि एक रूपरेखा नरिधारति करता है। यह वभिनि समुद्री क्षेत्तरों को एक अलग कानूनी दर्जा प्रदान करता है।
- यह तटीय देशों और महासागरों को नेवगिट करने वालों द्वारा अपतटीय शासन के लयि मज़बूती प्रदान करता है।
- यह न केवल तटीय देशों के अपतटीय क्षेत्तरों का ज़ोन है बल्कि पाँच संकेंद्रति क्षेत्तरों में देशों के अधिकारों और ज़मिमेदारियों के लयि वशिषिट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
- वर्ष 1995 में भारत ने UNCLOS की पुष्टिकी।

प्रश्न. 'ट्रांस-पैसफिक पार्टनरशिप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागरीय तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है।
2. यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया एक सामरिक गठबंधन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये हिंद महासागर रमि संघ इंडियन ओशन रमि एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन (IOR-ARC)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसकी स्थापना हाल ही में घटित समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधपिलाव (आयल स्पिलिस) की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप की गई है।
2. यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. दक्षिण चीन सागर के मामले में समुद्री भू-भागीय विवाद तथा बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरविहन की और उपरी उद्धान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिप्रेषण करते हैं। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिये। (मेन्स-2014)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)